न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 13–2024 एवं 14–2024 / प्रार्थना पत्र मुंतकिली

जिला कलक्टर सीकर (राज.)

भगवानाराम पुत्र रूपनाथ जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर राज.

–प्रार्थी

बनाम

01. चूनाराम पुत्र रूघनाथ
02. लिछमी देवी बेवाह श्योलाराम
03. भंवरलाल पुत्र श्योलाराम
04. सांवरमल पुत्र श्योलाराम
05. पप्पूराम पुत्र श्योलाराम
06. गुल्ली देवी पुत्री श्योलाराम
07. प्रभाती बेवाह गोविन्दाराम
08. हरफूल पुत्र गोविन्दाराम
09. ताराचन्द पुत्र गोविन्दाराम
10. बबली पुत्री गोविन्दाराम
11. संतोष पुत्री गोविन्दाराम
12. गुमानी पुत्री गोविन्दाराम
13. बंशी पुत्र रूधनाथ
14. नानू पुत्र रूघनाथ
15. सजना देवी पत्नि बंशी
16. रतनी पत्नि नानू
17. ज्याना पुत्री रूघनाथ
18. मनी देवी पुत्री रूघनाथ

1 ता 18 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

19. भगूताराम पति सुनी देवी
20. रोशन पुत्र सुनी देवी
21. दातार पुत्र सुनी देवी
22. सूलीपाल पुत्र सुनी देवी
23. भंवरी देवी पुत्री सुनी देवी
24. झीमा पुत्री सुनी देवी
25. शीला देवी पुत्री सुनी देवी
26. चूंका पुत्री सुनी देवी
27. बबीता पुत्री सुनी देवी
28. राजू देवी पुत्री सुनी देवी

19 ता 28 जाति गुर्जर निवासी नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

29. अणची पत्नि गणपतराम जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर
30. आंची पुत्री मोहनलाल
31. आशा पुत्री मोहनलाल

30 ता 31 जाति गुर्जर निवासी डूंगर की ढाणी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना

32. केशाराम पुत्र बोदी पुत्री दानाराम
33. गटू देवी पत्नि फूलचन्द
34. ग्यारसी देवी पुत्री बला उर्फ बलूराम
35. गीता देवी पत्नि भादरमल
36. गोकुल देवी पुत्री गणपतराम

32 ता 36 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

37. धीसी पुत्री बालूराम जाति गुर्जर निवासी डूंगर की ढाणी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना
38. चूंकी देवी पत्नि हीरालाल जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर
39. चांवली पत्नि मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी डूंगर की ढाणी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना
40. छोटी देवी पुत्री बला उर्फ बलूराम
41. ज्याना देवी पुत्री गणपतराम

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

42. दाफू पत्नि श्योपाल
43. धुडाराम पुत्र गंगू
44. निम्बू देवी पुत्री गणपतराम
45. प्रभाती पत्नि गंगू
46. प्रभाती देवी पत्नि भोलाराम

40 ता 46 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

47. फूलचन्द पुत्र बोदी पुत्री दानाराम
48. फूला पुत्र श्योपाल
49. बन्नालाल पुत्र बोदूराम
50. बसन्ती देवी पुत्री बला उर्फ बलूराम
51. विमला देवी पत्नि प्रकाशचन्द

47 ता 51 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

52. भंवरलाल पुत्र बालूराम
53. भंवरी देवी पत्नि सेडूराम

52 ता 53 जाति गुर्जर निवासी डूंगर की ढाणी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

54. भागोती पत्नि झाबर
55. भादरमल पुत्र बला उर्फ बलूराम
56. भाना पुत्र श्योपाल
57. भोलाराम पुत्र बलू उर्फ बलूराम
58. मदनलाल पुत्र गणपतराम
59. मूली देवी पत्नि गिरधारीलाल
60. महेन्द्र कुमार पुत्र गणपतराम

54 ता 60 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

61. महावीर पुत्र मोहनलाल
62. माया पुत्री मोहनलाल

61 ता 62 जाति गुर्जर विनासी डूंगर की ढाणी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना

63. मोहनी देवी पत्नि बला उर्फ बलूराम
64. रामकुवार पुत्र झाबर

63 ता 64 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

65. लक्ष्मी पुत्री मोहनलाल
66. लाली पुत्री मोहनलाल

65 ता 66 जाति गुर्जर निवासी डूंगर की ढाणी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना

67. श्रवण पुत्र गणपत
68. श्रवणलाल उर्फ सेडूराम पुत्र बोदूराम
69. शिम्भू पुत्र उदाराम
70. सुण्डा पुत्र रूडा
71. संतोष देवी पुत्री गणपतराम
72. संतोष देवी पत्नि बन्नाराम
73. संतोष देवी पत्नि सुण्डाराम

67 ता 73 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

74. सुरेश पुत्र मोहनलाल
75. सरोज देवी पत्नि रामकुमार

74 ता 75 जाति गुर्जर निवासी डूंगर की ढाणी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना

76. सोहनी पत्नि धुडाराम जाति गुर्जर निवासी तिवाडी की ढाणी बराल तहसील व जिला सीकर
77. भंवरी पुत्री उदाराम
78. मोटा देवी पुत्री उदाराम
79. संतोष देवी पुत्री उदाराम
80. सोहनी देवी पुत्री उदाराम
81. भीरा देवी पुत्री उदाराम
82. बिदामी देवी पत्नि उदाराम

76 ता 82 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

83. कजोडमल पुत्र प्रभात
84. कोयली देवी पत्नि प्रभात
85. गिरधारीलाल पुत्र मंगलाराम

83 ता 85 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

86. धीसी पुत्री सोनी पुत्री दोला जाति गुर्जर निवासी डूंगर वाली ढाणी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

87. दुर्गा देवी पुत्री प्रभात
88. नन्दलाल पुत्र प्रभात
89. विमला देवी पुत्री प्रभात
90. भगवान सहाय पुत्र प्रभात

87 ता 90 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

91. भंवरलाल पुत्र सोनी पुत्री दोला जाति गुर्जर निवासी डूंगर की ढाणी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना
92. भागू पुत्र गोपी
93. छोटी देवी बेवाह मांगू
94. लादूराम पुत्र मांगू
95. महावीर पुत्र मांगू
96. पूर्णमल पुत्र मांगू
97. चूनी देवी पुत्री मांगू
98. सुवा देवी पुत्री मांगू

92 ता 98 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

99. रा.उ.प्रा.वि. तिवाडी की ढाणी प.स. पिपराली जिला सीकर जरिए शाला प्रधानाध्यापक
100. संतोष पुत्री प्रभात
101. सुप्यार पत्नि भाना

100 ता 101 जाति गुर्जर निवासी बराल तहसील व जिला सीकर

102. कैनरा बैंक शाखा सांगरवा जिला सीकर जरिए शाखा प्रबंधक
103. उप पंजियक महोदय सीकर तहसील व जिला सीरक
104. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार महोदय सीकर तहसील व जिला सीकर बहैसियत भूमिधारी
105. श्रीमान जय कौशिक, (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सीकर

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री नीलम प्रकाश एवं मो. जावेद, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सोहनलाल चौणरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ सीकर (राज.) ★

<u>प्रार्थना—पत्र स्थानान्तरण</u>

निर्णय

दिनांकः 06.08.2024

1. यह अपील वकील **श्री नीलम प्रकाश एवं मो. जावेद** द्वारा श्री जय कौशिक आर.ए. एस. हाल उपखण्ड अधिकारी सीकर के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T.A. प्रकरण संख्या 154/2024 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. प्रकरण संख्या 118/2024 बउनवानी भगवानाराम बनाम चूनाराम वगै. को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु पेश किया गया है। आवेदन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

    (1) प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 104 के विरूद्ध एक नियमित दावा बाबत बंटवारा व उदघोषणा सं. 154/2024 तथा उसके साथ एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मु.नं. 118/2024 उनवानी भगवाना बनाम चूनाराम वगैरह अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 715, 691, 692, 697, 698, 702, 704, 708, 716, 717, 718, 801, 802, 803 कुल किता 14 कुल रकबा 16.78 हैक्टेयर वाके ग्राम बराल तहसील व जिला सीकर के बाबत प्रस्तुत किये गये जो आज दिन भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां विचाराधीन हैं। वाद व टी.आई. आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2024 को दर्ज रजिस्टर किये गये। उक्त वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व से कैवियट पेश की गई थी। इसलिए कैवियटकर्ता को सूचित करते हुए दिनांक 01.05.2024 को वादी/प्रार्थी एवं कैवियटकर्त्ता, दोनों पक्षों को सुनकर उपरोक्त खसरा नम्बरान पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने व मौका की यथास्थिति बनाए रखने से प्रतिबंधित किया गया था। पक्षकारों की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी किए गए।

(2) प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 द्वारा गांव में यह एलानियां धमकी दी गयी कि "आप लोगों ने विवादित भूमियों के बाबत हमारे खिलाफ जो दावा माननीय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष पेश किया हुआ है, आपका उक्त दावा हम जल्दी खारिज करवा देंगे, क्योंकि हमारे पड़ौसी ग्राम पंचायत के सरपंच हमारे रिश्तेदार हैं, जो अप्रार्थी संख्या 105 से राजनैतिक पहुंच व अन्य अनैतिक तरीके से मिलकर दावा को खारिज करवाकर मौके पर जबरन अवैध कब्जा करके मौके से आपको बेदखल कर निर्माण कार्य करेंगे।" हर दो तीन दिन से नजदीक तारीख पेशियां दी जा रही हैं, जबकि दावे में अन्य प्रतिवादीगण को अभी तक नोटिस तामील होकर भी नहीं आई है तथा ना ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 ने जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया है। नजदीकी तारीख पेशी दिये जाने से तामील भी समय अभाव के कारण नहीं हो पा रही है।

(3) अप्रार्थीगण के उपरोक्त कृत्य के कारण प्रार्थी के मन में यह आंशका ही नहीं बल्कि पूर्ण अंदेशा भी हो गया है कि अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी पर नाजायज रूप से दबाव बनाकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय करवा लेगा। जिससे प्रार्थी के हितों पर गंभीर कुठाराघात होने की संभावना उत्पन्न हो गयी है।

(4) प्रार्थी को अप्रार्थीगण के उक्त रवैये से यह आंशका ही नही बल्कि पूर्ण अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के साथ न्याय नही किया जावेगा बल्कि आगामी तारीख पेशी पर मूल दावा बंटवारा, उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर गलत आदेश/निर्णय पारित कर दिया जावेगा। इसलिए न्यायहित में उक्त दावा को न्यायालय

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलेक्टर, सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर से किसी अन्य सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायसंगत है।

(5) अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष विचाराधीन दावा बाबत बंटवारा व उद्घोषणा प्रकरण सं. 154/2024 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 118/2024 उनवानी भगवाना बनाम चूनाराम वगैरह को किसी अन्य सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री सोहनलाल चौधरी उपस्थित हुए हैं।

3. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद प्रकरण संख्या 154/2024 वास्ते जवाब दावा संशोधित वाद–पत्र एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 118/2024 वास्ते आदेश आवेदन 151 सीपीसी विचाराधीन है जिसमें आगानी तारीख पेशी दिनांक 07.08.2024 नियत है। पीठासीन अधिकारी के राजनैतिक प्रभाव में मुकदमा प्रभावित करने सम्बंधी तथ्य गलत एवं निराधार है। पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है। प्रकरण में तारीख पेशी उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की आपसी सहमति से तय की जाती है। पीठासीन अधिकारी कर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। प्रकरण का निर्णय प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत और दस्तावेजों के आधार पर विधि अनुसार किया जाता है। राजस्व वाद प्रकरण संख्या 154/2024 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 118/2024 बउनवानी भगवानाराम बनाम चुनारान को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं। दौराने बहस अपीलांट के वकील ने कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन प्रकरण बउनवानी भगवानाराम बनाम चुनारान में नजदीक की तारीख पेशियां दी जाकर प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्ध निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

जबकि प्रकरण 29.04.2024 को ही दर्ज किये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन प्रकरणों राजस्व वाद प्रकरण संख्या 154/2024 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 118/2024 बउनवानी भगवानाराम बनाम चुनारान वगै. को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन बउनवानी भगवानाराम बनाम चुनारान वगै.. राजस्व वाद प्रकरण संख्या 154/2024 वास्ते जवाब दावा संशोधित वाद–पत्र एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 118/2024 वास्ते आदेश आवेदन 151 सीपीसी विचाराधीन है जिसमें आगानी तारीख पेशी दिनांक 07.08.2024 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अंतरित स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रकरणों में अभी तक तलबी की कार्यवाही भी पूर्ण नहीं हुई है जबकि प्रकरण दर्ज हुए करीब तीन माह का समय व्यतीत हो चुका है। प्रकरण में अंकित विवादित आराजियात पर स्थगन होने के कारण अप्रार्थी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी को न्याय के प्रति शंका उत्पन्न हो गई है। फिर भी यदि उक्त विवादित प्रकरणों को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी मात्र प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करवाना चाहता है, जिससे कि वह अपनी खातेदारी भूमि का समुचित उपयोग व उपभोग कर सके। क्योंकि प्रकरणों में पारित स्थगन आदेश की वजह से अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का समुचित उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है।

5. हमने उपस्थित उभयपक्षकारान के वकीलों की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया। चूंकि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो रही हो। प्रार्थी को न्याय के प्रति शंका उत्पन्न हो गई है। वकील अप्रार्थी ने भी प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। जिससे न्यायालय प्रथम दृष्टया यही उचित समझता है कि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में विचाराधीन प्रकरण राजस्व **वाद प्रकरण संख्या 154/2024 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 118/2024 बउनवानी भगवानाराम बनाम चुनारान वगै.** को **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर** से **न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर** में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी **सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर** को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक **06 अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर